न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 44/2023

बहादूरमल बनाम महेन्द्र आदि

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा।
प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.
व धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट वादी प्रार्थी – श्री विधाधर सिंह जाखड
ऐडवोकेट प्रति0 प्रार्थी – श्री सज्जन चाहर

:: **आदेश** ::

दिनांक 30.12.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– उक्त प्रश्नमत सम्पति स्व. हीरा देवी की व्यक्तिगत क्रय की हुई खातेदारी की सम्पति थी, जिसमें से खसरा नम्बर 172 की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 11.06.2019 को प्रार्थीगण महेन्द्र व महावीर के पक्ष में तस्दीक करवा दी, और खसरा नम्बर 1190 में अपना हिस्सा 211/273 दिनांक 11.06.2019 को जरिये रजिस्टर्ड गिफ्ट–डीड अपने पुत्र महेन्द्र व महावीर के नाम तस्दीक करवा दिया, और उन्होने गिफ्ट स्वीकार करके अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली। वादी का कोई विधिक अधिकार किसी भी प्रकार का नहीं है और न ही वाद–पत्र में कोई कारण कि उक्त दस्तावेजात किस प्रकार से विरूद्ध है दर्ज किया है इस कारण वादी को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ इस कारण वादकारण के अभाव में अन्तर्गत ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी दावा मय हर्जा खर्चा खारीज होने लायक है।

वादी ने रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 11.06.2019 को वाद में कहीं पर भी प्रश्नगत नहीं किया है और ना ही दिनांक 11.06.2019 की गिफ्ट–डीड को किस प्रकार विधि विरूद्ध है कोई कारण दर्ज किये है और न ही विधि विरूद्ध जो रजिस्टर्ड दस्तावेजात को चुनौती देने के आधार होते है वह आधार वाद–पत्र में दर्ज है और रजिस्टर्ड दस्तावेजात स्पेशिफिक रिलिफ एक्ट की धारा 31 के तहत सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है राजस्व न्यायालय को इस सम्बन्ध में वाद सूनने का श्रवणाधिकार नहीं है इस कारण क्षेत्राधिकार के अभाव में अन्तर्गत ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी में दावा खारीज होने लायक है।

रजिस्टर्ड दस्तावेजात को सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उस पर कोर्ट फीस प्रश्नगत सम्पति की बाजारू कीमत पर अदा करके ही दावा पेश किया जा सकता है इस प्रकार कोर्ट फीस के अभाव में अन्तर्गत ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी दावा चलने लायक नहीं है।

उक्त वाद न तो अर्जेन्ट नेचर का है और प्रतिवादी संख्या 4 लैण्डलोर्ड को अनावश्यक पक्षकार बनाया है इस कारण दावा अर्जेन्ट नेचर का नहीं होने व गलत पक्षकार संयोजित करने के कारण दावा मय हर्जा खर्चा खारीज होने लायक है। प्रतिवादी संख्या 4 को पक्षकार बनाया है अगर किसी राज्य कर्मचारी को पक्षकार बनाया जाता है तो राज्य सरकार भी आवश्यक पक्षकार है और उनके विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है इसलिए ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी वादी का वाद खारीज होने लायक है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेशकर निवेदन है कि वादी बहादूरमल का दावा ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी मय हर्जा खर्चा खारीज किया जावे।

वकील अप्रार्थी (वादी) की ओर से पेश जबाब प्रा0 पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– खसरा नम्बर 172 रकबा 1.04 है0 की रजिस्टर्ड वसीयत हीरा देवी का जिनका देहान्त दिनांक 04. 04.2023 को हो गया। अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नही लिखी एक वसीयत लिखी थी जो सन 2018 में उस वसीयत में तीनो पुत्रो को आवेदक व महेन्द्र व महाबीर को बराबर–बराबर हक हिस्सा देकर नोटेरी द्वारा तस्दीक करवाई गई इस प्रकार आवेदक खसरा नम्बर 172 रकबा 1.04 है0 में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर अपने मकान बनाकर आबाद है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में खसरा नम्बर 1190 रकबा 2.73 है0 में हीरा देवी का हिस्सा 211/273 का दान पत्र दिनांक 11.06.2019 को महेन्द्र व महाबीर के पक्ष में तस्दीक करवाया है वह गलत करवाया है हीरा देवी ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से का 1/3 हिस्से में तीनो पुत्रो को इकरारनामा, राजीनामा लिखकर दिया उसके बावजूद हीरा देवी को महेन्द्र व महाबीर ने बहला फुसलाकर दिनांक 11.06. 2019 को सम्पूर्ण भूमि का अपने नाम गिफट करवा लिया जो

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

गलत है। इस प्रकार आवेदक 1/3 हिस्से में काबिज व काश्त है व अनावेदक महेन्द्र व महाबीर भी 1/3 हिस्से में कब्जे काश्त कर रहा है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है ग्राम शिवनगर पटवार हल्का टॉकछिलरी खसरा नम्बर 174 रकबा 0.28 है०, खसरा नम्बर 578/173 रकबा 0. 16 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 में भी वादी का 1/3 हिस्सा है व 1/3 हिस्से पर आवेदक का कब्जा काश्त है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अं. धारा 7 नियम 11 सी.पी. सी. मय हर्जे खर्चे के खारिज करने की कृपा करें।

जबाब देही पेश होने पर बहस उभय पक्ष बगौर सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र को वादकारण व क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने का कथन किया जिससे जबाब में वकील अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रा0 पत्र के तथ्यों को को देहराया तथा वाद राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने तथा भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 1.04 है0 की रजिस्टर्ड वसीयत हीरा देवी ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नही लिखी एक वसीयत लिखी थी जो सन 2018 में उस वसीयत में तीनो पुत्रो को आवेदक व महेन्द्र व महाबीर को बराबर–बराबर हक हिस्सा देकर नोटेरी द्वारा तस्दीक करवाई गई इस प्रकार आवेदक खसरा नम्बर 172 रकबा 1.04 है0 में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर अपने मकान बनाकर आबाद है। खसरा नम्बर 1190 रकबा 2.73 है0 में हीरा देवी का हिस्सा 211/273 का दान पत्र दिनांक 11.06.2019 को महेन्द्र व महाबीर के पक्ष में तस्दीक करवाया है वह गलत करवाया है हीरा देवी ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से का 1/3 हिस्से में तीनो पुत्रो को इकरारनामा लिखकर दिया उसके बावजूद हीरा देवी को महेन्द्र व महाबीर ने बहला फुसलाकर दिनांक 11.06. 2019 को सम्पूर्ण भूमि का अपने नाम गिफट करवा लिया जो गलत है। इस प्रकार आवेदक 1/3 हिस्से में काबिज व काश्त है व अनावेदक महेन्द्र व महाबीर भी 1/3 हिस्से में कब्जे काश्त कर रहा है। उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है व 1/3 हिस्से पर आवेदक का कब्जा काश्त है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अं. धारा 7 नियम 11 सी.पी. सी. खारिज करने की कृपा करें। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र में दर्ज भूमि के वादी रजि0 गिफट डीड को निरस्त कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है। चुंकि रजिस्टर्ड दस्तावेजों को निरस्त करने तथा का क्षैत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है तथा अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही की जा सकती है। उक्त अनरजिस्टर्ड इकरारनामा की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। न्यायालय हाजा के लिए उक्त दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने से प्रकरण आदेश 07 नियम 11 सीपीसी से हिट होता है। उक्त दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण आदेश 07 नियम 11 के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। फलस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर मौजूदा वाद वादी क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। वाद खारीज की डिकी पृथक से जारी की जावे। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें। निर्णय दिनांक **30.12.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रेक) [illegible]

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 44 / 2023 (बहादूरमल बनाम महेन्द्र आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 30.12.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद क्षैत्राधिकार के अभाव में खारीज योग्य है। इसलिए प्रतिवादी / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11, 151 सीपीसी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। वाद खारीज की डिक्री पृथक से जारी की जाती है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.12.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (फा॰ट्र॰) नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00